

<p>विद्युत</p>	<p>अक्षय</p>	<p>प्रतिवेत</p>
----------------	--------------	-----------------

1
 भारतीय राष्ट्रीय विद्युत निगम के निदेशानुसार इस क्षेत्र में
 ग्रीन बेल्ट स्थानित किया जाना है, तो क्या अन्य कोई
 क्षेत्र इस क्षेत्र की वर्गीकृत प्रत्यावर्तन/मान
 के लिए इस क्षेत्र की वर्गीकृत प्रत्यावर्तन/मान
 उल्लंघन की शक्ति में है ? प्रस्ताव अर्थात् करने की
 पर्याप्तता स्पष्ट करें।

वर्तमान में कोई उपलब्ध नहीं है।
 एच. 76 बाई पास तक कोई उपलब्ध नहीं है।
 विस्तार हेतु 96 है। वर्गीकृत प्रत्यावर्तन में बाकी
 ग्रीन बेल्ट की पहचान में ही कोई उपलब्ध नहीं है।
 अतिरिक्त शक्ति के अनुक्रम वर्गीकृत पर विकसित
 कोटा बाईपास एन.एच.76 के अन्तर्गत अतिरिक्त
 शक्ति के अनुक्रम वर्गीकृत पर ग्रीन बेल्ट विकसित
 करने हेतु 1800 रू.पी. दीवार का निर्माण बना
 विभाग द्वारा किया जा चुका है, परन्तु भारत
 सरकार से आवश्यक बजट प्राप्त नहीं होने से
 वर्गीकृत में ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं की जा
 सकी है। अन्वयण प्रस्ताव स्वीकृत में यह शक्ति
 रू.पी. 45,00,000/- प्रयोज्य
 अतिक्रमण द्वारा जमा कराया जावे।
 एन.एच. 76 के कोटा बाईपास के दोनों
 ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाने हेतु भारत
 सरकार की पूर्व स्वीकृत स्वीकृति क्रमांक F
 NO-8-3/2006-FC दिनांक 06.07.2007 के
 क्रम में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने
 पर उक्त वर्गीकृत प्रत्यावर्तन किया जाना उचित
 होगा। अतिरिक्त स्वीकृति द्वारा उनके साइट
 स्थानित किया गया है।

प्रस्ताव में परीक्षण उपरान्त विद्युत निगम लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निगमन कर ही गई है।

Ref :-संगणित गुण वन संरक्षक, कोटा का पत्रांक एक 13(न संरण)/संगण/2018/1529 दिनांक 16.02.2018

Name of project: -Land For Extension of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit

Nayapura, Civil Lines Koina Tel./Fak No. 0744-2322747 Email ID-def@koina.forest@gmail.com

11 कायालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.)।।

